

ताराख
हुकम

हुकम वा कायदाही पर इतिहास जज

अन्तराम पोखरिया

18-7-19

पन्नावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाये
जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से
न आर्थिकता और न स्वयं अपीलान्ट उप
आये, पन्नावली का अवलोकन किया पन्नावली
के अपीलान्ट द्वारा 11.12.17 से रेश्यो/अप्रील
की गलती वाक नोटिस पेश नहीं मिले है। अतः
पन्नावली अदम घाजरी, अदम पेरवी व अदम त्कमील
में रबारिज की जाती है। पन्नावली फेब्रुअरी
होकर नवंबर से कम की जावे, बाद जाणा
कारबेल दफ्तर से

मुनिबुद्ध साहिबान

पदेन

सायबुद्ध अपील साहिबान
सायबुद्ध बेल-बीबपुर